

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 1979/पौष 7, 1901
No. 564] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 1979/PAUSA 7, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी गयी है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 875(अ)/संख्या ई० (सी०) ओ, 1977/ए०एम०(142).—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) को धारा-3 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण), आदेश, 1977 में और आगे
संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

(1) इस आदेश की निर्यात (नियंत्रण) 54वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाये।
1043 GI/79 (2009)

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम संख्या-83 के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ा जायेगा :—

1	2	3	4
84.	आयातित लट्ठों से तैयार की गई सलाखें और छड़ें	ख-80	अग्रिम लाइसेंस के लिये कर मुक्त योजना के अन्तर्गत आयातित लट्ठों से तैयार की गई सलाखों और छड़ों की लाइसेंस में संकेतित जहाज पर निःशुल्क मूल्य की सीमा तक निर्यात।

[सिविल संख्या 5(12)/79-ई०-2]

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 28th December, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 875(E)/No. E(C)O, 1977/AM (142).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifty-fourth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the following item shall be added after S. No. 83:

1	2	3	4
84.	Rods and bars made out of imported billets.	B. 80	Export of bars and rods made out of billets imported under Duty Exemption Scheme against advance licence to the extent of f.o.b. value indicated in the licence.

[No. F. 5(12)/79-EII]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports